न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 1021/2016

1. श्रीमति धन्नी देवी पत्नि नाथू राम पुत्री स्व0 कल्याण जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी–ग्राम मदनपुरा हाल निवासी जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर

–/अपीलांट्–

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 कल्याण जाति जाट उम्र 75 वर्ष निवासी–ग्राम मदनपुरा पटवार मण्डल महल तहसील बस्सी जिला जयपुर
2. तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर

–रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण–

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री प्रहलाद चौधरी अपीलांट की ओर से।

2– श्री अनिल शर्मा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–28–02–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–2016 प्रार्थना–पत्र नं. 116/2012, न्यायालय सहायक कलेक्टर बस्सी बउनवानी प्रकरण धन्नी देवी बनाम रामचन्द्र प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 94 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मदनपुरा बाबत एक दावा बाबत घोषणा प्रस्तुत किया गया तथा एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पिताजी की खातेदारी में रही है तथा उनके पिताजी का देहान्त सन 1978 के लगभग हो गया था। उनके पिता के दो जाइन्दा पुत्र रामचन्द्र व मूल्या तथा चार पुत्रियॉ पैदा हुई थी इनमें से मूल्या अपने बडे पिता को गोद चला गया था। पिताजी की सम्पत्तियॉ में पुत्रियों का भीबराबर अंश हिस्सा बनता है परन्तु पिताजी की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रामचन्द्र अकेले के द्वारा अपने नाम करवाया लिया गया। दिनांक 6–11–2012 को प्रार्थीया की भाभी द्वारा यह कहने पर कि वे बच्चें को गोद ले रहे है प्रार्थीया द्वारा यह कहा कि भूमि में उसका भी 1/5 हिस्सा बनता है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 06 के अनुसार पुत्री भी अपनी पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

की अविभाजित सम्पत्ति में बराबर का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारणी है, अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा यह कहा कि पिताजी के फौत होने पर उसने वादग्रस्त भूमि स्वयं के नाम करवा ली थी। प्रार्थीया द्वारा जानकारी उक्त कथन को उल्लेख करते हुए प्रार्थना–पत्र में यह अनुतोष चाहा गया कि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद फमराया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–11–2016 के द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–11–2016 विधि एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा वारिस नामा को नजर अन्दाज करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है।पिताजी की सम्पत्ति में पुत्रियो का भी बराबर अंश व हिस्सा बनता है, तथा जो नामान्तरणकरण अकेले रामचन्द्र के नाम से खोला गया है वह अनुचित है। प्रार्थीया ससुराल में रहती थी तथा रामचन्द्र ना तो उसके भात मायरा व शादी समारोह में शामिल हुआ था ना ही प्रार्थीया को अपनी बहिन मानता है वादकारण दिनांक 6–11–2012 को प्रार्थीया की भाभी द्वारा बच्चे को गोद लेने के कथन करने के उपरान्त पैदा हुआ है तथा उसी समय जानकारी हुई कि प्रार्थीया का पिताजी की सम्पत्ति में नाम नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार पुत्री भी अपने पिताजी की अविभाजित सम्पत्ति में बराबर हक व हिस्सा रखती है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों साक्ष्य सबूतों पर गौर किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि अपास्त फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेंट को तलब किया जाकर तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया/अपीलान्ट का हक व अधिकार निहित है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश साक्ष्यों के विपरीत पारित किया गया है।प्रकरण में प्रथमदृष्टया केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है फिर भी न्यायालय द्वारा उनका प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया है जो कि अनुचित है अतः अपील स्वीकार की जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2011 एससी, 1542,एआईआर 2007 एनओसी 1522, एआईआर 1989 कर्नाटका 45, एआईआर 1984 एससी 1234,एआईआर 2005 इलाहाबाद 113 प्रस्तुत किये गये।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जे के अभाव में कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

जा सकती है। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्ध भी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है।निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटक अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है। धारा 6 के प्रावधान सन 2005 से लागू हुऐ है जिनका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है।अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई हैइसलिये अपील खारिज फरमाई जावे।अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समथन में न्यायिक दृष्टांत 2015 डीएनजे (एससी) 1088,2014–15 (सप्लीमेंन्ट्री)आरआरटी 285, 2015 (2) आरआरटी 976,2015 (2)आरआरटी 1115 तथा 2003 (2) आरआरटी 1282 प्रस्तुत किये गये।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनरस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09–11–2012 को प्रस्तुत किया गया था जिसपर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है।प्रकरण में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा दिनांक 30–11–2015 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12–11–2016 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।उक्त आदेश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि ''पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थी सख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन करने तथा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अध्ययन करने के पश्चात लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाना उचित नहीं समझते है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।''अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेघाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटकों पर कोई विवेचन नहीं किया गया है नही प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का कोई आधार अंकित किया गया है। प्रकरण में विवाद पैतृक कृषि भूमि को लेकर है तथा प्रार्थीया के इस कथन को कि वह मृतक पूर्व खातेदार कल्याण की जाईन्दा पुत्री है को अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी के परिवार व जाति में ऐसी रूढी व परिपाटी रही है कि पिता की पैतृक सम्पत्तियों में से पुत्रियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है इस कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।अप्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नही है।इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का पैतृक सम्पत्ति होना तथा प्रार्थीया का जाईन्दा पुत्री होना स्वीकृत तथ्य है जिनसे प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीया के हक में साबित होता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद पर निर्णय उभयपक्ष के साक्ष्य सबूतों के आधार पर नियमित सुनवाई उपरान्त किया जा सकेगा, परन्तु यदि वाद के दौरान वादग्रस्त

भूमि का आगामी हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो वाद बहुलता बढेगी तथा प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना होगी।यदि विवाद पैतृक कृषि भूमि से संबंधित हो तो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।अतःअधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग होने तथा न्यायिक विवेचन से रहित होने के कारण अपास्त योग्य है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।अपीलान्ट की प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–11–2016 अपास्त किया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति यथाावत रखी जावे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 28–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर